

कार्यालय जिला पंचायत, सम्भल

पत्रांक 615 / जि0पं0 / आश्रय स्थल / 2019-20


दिनांक 07 / 03 / 2020

सार्वजनिक कुटेशन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत, सम्भल द्वारा ग्राम बहॉपुर पट्टी प्रहलाद विकास खण्ड बहजोई में संचालित अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल के वर्ष 2020-21 के संचालन हेतु निम्नलिखित सामग्री व 03 श्रमिक/चौकीदार (प्रति व्यक्ति की दर से) की आपूर्ति के कुटेशन दिनांक 25-03-2020 की सांय 05:00 बजे तक कार्यालय जिला पंचायत में आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र. सं.	सामग्री	मात्रा	आपूर्ति की अवधि	
1	भूसा	आवश्यकतानुसार	01 अप्रैल, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 तक	01 अक्टूबर, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक
2	हरा चारा (समयनुसार फसल पर आधारित वरसीन, मक्का ज्वार, चरी आदि)	" "	" "	" "
3	हरी घास	" "	" "	" "
4	गन्ना (अंगोले के रूप में)	" "	" "	" "
5	चोखर (प्रति बोरी 50 कि.ग्रा.)	" "	" "	" "
6	लोहे की बाल्टियाँ (प्रति नग)	" "	" "	" "
7	रस्सा पशुओं को बांधने के लिए (प्रति मी0)	" "	" "	" "
8	फावड़ा (गोबर हटाने के लिए) (प्रति नग)	" "	" "	" "
9	ड्रम (पानी एवं चारे के लिए) (प्रति नग)	" "	" "	" "

- शर्तें:-
- 1- सामग्री आपूर्ति की अवधि कुटेशन स्वीकृति के दिनांक से 31.03.2021 तक होगी।
 - 2- यदि किसी भी सामग्री में कोई कमी/खराब पायी जाती है तो उसकी कटौती कर भुगतान किया जायेगा। श्रमिक की आपूर्ति हेतु कुटेशनदाता को श्रम पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
 - 3- सामग्री कुटेशन के साथ अंकन रू0 2,000/- तथा श्रमिक कुटेशन के साथ अंकन रू0 5,000/- की एफडीआर संलग्न करनी होगी जो अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, सम्भल के पदनाम से बन्धक होगी। कुटेशन स्वीकृति के उपरान्त यथा आवश्यकतानुसार आपूर्ति अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल पर करनी होगी।
 - 4- कुटेशन स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा।
 - 5- समय-समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों का पालन करना होगा, उल्लंघन करने पर कुटेशन निरस्त कर दिया जायेगा तथा कोई दावा (क्लेम) मान्य नहीं होगा।


अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, सम्भल

पत्रांक व दिनांक उपरोक्त।